पूजा-पाठ न काम आया सरकार के, न काम आयेगा बाबा का आशीर्वाद सी पी के

फ़रीदाबाद (म. मो.) ज़िले में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण बलात्कार व झपटमारी अब इतनी आम हो गयी है कि कुछ कहते नहीं बनता। पलवली में हुए 5 लोगों के नरसंहार के 10 दिन बाद ही तिगांव हल्के में एक युवक को सरे राह गोली मार कर हत्या कर दी गयी। यानी कुछ दिन पूर्व 5 जनों की हत्या से भी पुलिस तन्त्र की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो पाया। गौरतलब बात यह है कि दोनों ही मामलों में हत्यायें अचानक नहीं हुई हैं। इनकी पुरानी पृष्ठभूमि रही है। पुलिस के नोटिस में था कि खूनखराबा हो सकता है। इसके बावजूद पुलिस ने कोई एहतियाती कार्यवाही नहीं की। पुलिस का काम केवल वारदात हो जाने के बाद उसे दर्ज करके तफ़तीश करना ही नहीं होता बल्कि वारदातों को होने से रोकना भी होता है।

लेकिन हालात देखकर लगता नहीं कि पुलिस अपना कोई भी कर्त्तव्य ठीक से निभा पा रही है। निभा भी कैसे सकती है जब ज़िला पुलिस प्रमुख (पुलिस कमिश्नर) हनीफ़ कुरैशी खुद बाबों के आशीर्वाद पर टिके हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे खट्टर व मोदी की सरकारें हवन-यज्ञ एवं पूजा-पाठ पर टिकी हैं।

'मज़दूर मोर्चा के 16-30 जून 2016 के अंक में प्रकाशित वह चित्र पुन: प्रकाशित किया जा रहा है जब कुरैशी साहब खुद धर्म की एक बड़ी दुकान से आशीर्वाद लेने गये थे। जब ज़िले का पुलिस प्रमुख खुद ही बाबों की शरण में पड़ा हो तो उनके मातहत काम करने वाली 3000 से अधिक फ़ोर्स ने क्या खाक करना है। वे भी अपनी-अपनी सुविधानुसार, अपनी-अपनी पसंद के बाबों के आशीर्वाद के भरोसे कानून व्यवस्था को बनाये रखने की अपेक्षा करेंगे ही ।

बाबों के आशीर्वाद के अलावा, पुलिसकर्मियों का दूसरा भरोसा राजनेता बने हुए हैं। वे अपने अफ़सरों खासकर सीपी के प्रति जवाबदेह होने की बजाय उन राजनेताओं की चाकरी अधिक करते हैं जो उनकी तैनाती मनपसंद थानों-चौकियों में कराते हैं। सीपी भी अपने मातहतों का काम देख कर उन्हें तैनाती देने की अपेक्षा राजनेताओं के कहने पर ही तैनातियां देते हैं; तो ऐसे में जाहिर है पुलिसकर्मी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारों पर ही अधिक नाचेंगे। और राजनीतिक आका अक्सर गलत काम के लिये ही फोन करते हैं क्योंकि सही काम तो वैसे ही बिना फ़ोन के हो जाता है।

जानकारों के मुताबिक पलवली नरसंहार के पीछे भी राजनीतिक दखलंदाज़ी ही समझी जा रही है। यदि पुलिस ने ऐसे किसी दबाव से ऊपर उठ कर पेशेवराना तरीके से काम किया होता तो यह कांड बचाया जा सकता था। दोनों पक्षों में पिछले काफ़ी अर्से से झगड़ा चल रहा था। कई बार दोनों पक्षों को थाने चौकी भी बुलाया गया था, लेकिन कोई सही ढंग की एहतियाती कार्यवाही न होने का परिणाम 5 लोगों की हत्या के रूप में निकला। तिगांव वाले मामले में भी मृतक ने 3-4 दिन पूर्व थाने में शिकायत दी थी कि उस पर फ़ायरिंग की गयी थी।

सी पी साहब वैसे तो बहुत सयाने हैं, पढे-लिखे हैं। इन्जीनियरिंग स्नातक के बाद पीएचडी की हुई है। करना चाहें तो बहुत कुछ करने में सक्षम हैं परन्तु इस देश में करने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ किये ही आपकी नौकरी सही सलामत रहती है क्योंकि कुछ करते ही तो राजनेता आपके विरुद्ध झंडा उठा लेते हैं जैसे पूर्व सीपी सुभाष यादव के विरुद्ध उठा लिया था। 'अच्छी' नौकरी के लिये बस राजनेताओं के इशारों पर नाचते रहो, उनके आदेशानुसार तबादले-तैनातियां व अन्य काम करते जाओ तो सब ठीक रहेगा। कोई मातहत अपने दम पर कुछ करना चाहे तो कर ले, सीपी साहब तो न उसके आगे होंगे न पीछे। इसी के चलते तमाम पुलिसकर्मी भी बस उतना ही करते हैं जितना बहुत जरूरी हो, वह भी फूक मार-मार कर।

शायद इसी सब के लिये कुरैशी साहब ने सिद्धदाता आश्रम के ठग बाबा का आशीर्वाद पाया होगा न कि जनता की सुरक्षा लिये।

सैनिक कॉलोनी में भारी तोड़-फ़ोड़

भ्रष्ट प्रशासन कभी कार्यवाही न करता यदि हाई कोर्ट का डंडा न होता

फ़रीदाबाद (म.मो.) पिछले करीब एक सप्ताह से शहर की एक पॉश, सैनिक कॉलेनी में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से निर्मित आलीशान मकानों को तोड़ने का अभियान चल रहा है। बरसों पुरानी, तीन-तीन मंजिला कोठियां, फ्लैट्स व दुकानों को तोड़ने के लिये 1 आई.ए.एस., 3 एच.सी.एस. अधिकारी, 2 ए.सी.पी 4 थानों के एसएचओ अपने पूरा दल-बल के साथ जुटे हैं। इनके अलावा नगर निगम का पूरा अमला, भाड़े के दिहाड़ी मज़दूर व पॉकलेन तथा जेसीबी मशीनें काम पर लगी हैं। जाहिर है सरकारी कर्मचारियों का वेतन न भी जोड़ें तो भी भाड़े पर ली गई लेबर व मशीनों पर तो लाखों का सरकारी खर्च हो ही रहा है। ऊपर से राष्ट्रीय सम्पत्ति का जो नुकसान हो रहा है वह अलग से।

शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रशासनिक अधिकारी यह काम अपनी खुशी से नहीं बल्कि हाई कोर्ट के डंडे से हांके जाने के बाद मज़बूरी में कर रहे हैं। वरना ये तमाम अधिकारी हाथ पर हाथ धरे व आंखे मीचे रिश्वत की जुगाली करते रहते जो अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा नियमित दी जाती है। यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मर्जी के बिना एक इन्च भी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा व निर्माण के लिये एक ईंट भी लगा पाना संभव नहीं है। और इसी 'मर्जी' के एवज में उन्हें रिश्वतें भी अच्छी-खासी मिलती हैं।

इसी रिश्वतखोरी के चलते जालसाज लोगों ने अपनी व सरकारी भूमि पर अनेकों अवैध निर्माण कर डाले। अवैध रूप से मकानों को दुकानों व फ़्लैटों में परिवर्तित कर दिया। पार्किंग के लिये छोड़ी गयी जगहों पर निर्माण कर दिये गये। अवैध भवन निर्माता चतुर इतने कि तुर्त-फुर्त इन भवनों को बेच कर फ़ारिग हो लिये। अब भुगत रहे हैं धोखे में आये खरीदार। दरअसल खरीदार धोखे में तब आता है जब उसे तहसील से पक्की रजिस्ट्री का आश्वासन मिलता है और वह पूरा भी हो जाता है।

इसी बात का संज्ञान लेते हुए उपायुक्त समीरपाल सारों ने इस तरह के भवनों की रजिस्ट्री करने वाले करीब 4-5 तहसीलदारों को चिन्हित कर के उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की सिफ़ारिश सरकार से की है। अब देखना यह है कि भ्रष्ट विधायकों व मन्त्रियों के पायों पर टिकी यह सरकार किसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही कर पाती है। वैसे भी तहसीलदारों का कुछ भी बिगड़ने की संभावना बहुत कम रहती है क्योंकि उनका तर्क रहता है कि उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताविक केवल रजिस्ट्री की है जिससे सरकार को स्टैम्प ड्यूटी मिली है। यह तो खरीदार की ड्यूटी है सही गलत जांचने की। लेकिन उक्त मामलों में बाकायदा सरकार की तरफ़ से हिदायत जारी हो चुकी थी कि वे इस तरह की रजिस्ट्रियां नहीं करेंगे, इसके बावजूद रिश्वत के बल पर जो रजिस्ट्रियां की हैं, इसके लिये वे पूर्णतया दोषी हैं।

तहसीलदारों को नाप कर उपायुक्तों ने एक सही कदम तो जरूर उठाया है लेकिन उन्हें क्यों छोड़ रखा है जिन्होंने अवैध निर्माणों को होने दिया, जिन्होंने कम्पलीशन सर्टिफ़िकेट जारी किये? वे भी तो साथ में नपने चाहियें।

संदर्भवश सवाल उठता है कि आखिर 300 किलोमीटर दूर बैठी हाई कोर्ट को क्या जरूरत पड़ी वह काम कराने की जो यहां बैठे अधिकारी नहीं कर रहे थे? दरअसल जब बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होते हैं, सार्वजनिक इस्तेमाल के लिये छोड़ी गयी ग्रीन बेल्ट, पार्क व सड़कों आदि पर जब कब्ज़े व निर्माण हो जाते हैं तो तमाम कॉलोनी-वासियों को परेशानी होनी स्वाभाविक होती है। इसी परेशानी को लेकर स्थानीय निवासियों ने अपने प्रधान राकेश धुन्ना से इस बाबत हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कराई थी जिसके चलते कोर्ट के आदेश पर यह सब हो रहा है

वैसे अधिकारियों की नीयत तो अब भी साफ़ नहीं है। केवल कुछ मकानों को तोड़ कर तथा शेष 80 से भी अधिक मकानों को सील कर के प्रशासन अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेना चाहता था, परन्तु हाई कोर्ट ने पुन: सख्त एवं स्पष्ट आदेश दिया है कि सील करने की ड्रामेबाज़ी नहीं चलेगी, सभी अवैध निर्माणों को जड़-मूल से साफ़ करके रिपोर्ट दी जाय। लगे हाथ हाई कोर्ट को इन अवैध निर्माणों की ज़िम्मेदारी भी तय करा लेनी चाहिये और फ़िर जिम्मेदार अफ़सरों की भी पूछ-ताछ अच्छे से कर लेनी चाहिये थी, क्योंकि हरामखोरी व रिश्वतखोरी की वजह से जहां हाई कोर्ट का कीमती वक्त खर्च हुआ वहीं पूरे सरकारी अमले को भी इस फ़िजूल काम में अपनी उर्जा एवं संसाधन खर्चने पड़े।

उक्त सैनिक कॉलोनी में अवैध कब्जों एवं निर्माण को केवल उदाहरण मात्र हैं, इस तरह का काम तो पूरे शहर में हो रहा है। कहने की जरूरत नहीं यह सब सरकारी अफ़सरों की हरामखोरी व रिश्वतखोरी के बल पर भी हो रहा है। यह सरकारी अमला तो केवल तब ही हरकत में आता है जब हाई कोर्ट का डंडा चलता है।

जेएनयू में सैक्सुएल हैरसमेन्ट कमेटी का पुनर्गठन

लड़कियों को नकेल डालने का एक और संघी प्रयास

लड़कियों को स्वतंत्रता और सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करने वाली जेएनयू की एक और कमेटी को वी.सी. जगदीश कुमार ने मंगलवार को खत्म कर दिया। जी.एस. कैश के संक्षिप्त नाम से मशहूर इस भारत प्रसिद्ध, औरों के लिये रोल मॉडल, कमेटी को वी.सी. ने इसलिये भंग कर दिया क्योंकि इसके लगभग सारे सदस्य चुने जाते थे और वी.सी. को उसमें अपने मनपसंद गुलामों को भरती करने का कोई मौका नहीं था। इस कारण से किसी भी छात्र, प्रोफ़ेसर या कर्मचारी का केस इसमें जाने पर प्रशासन उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाता था। इस कमेटी का गठन इस तरह का होने के कारण यूनिवर्सिटी के सभी लोगों का इसमें पूर्ण विश्वास था। और यही कारण था कि जेएनयू में छेड़छाड़ की घटनायें काफ़ी कम थी। शायद हमारे पूरे देश में एकमात्र ऐसा शिक्षा संस्थान है जिसमें रात के 2 बजे भी लड़की आपको बाहर सड़क पर जाती हुई या ढाबे पर बैठकर चाय पीती हुयी मिल जायेगी। और दूसरी तरफ़ बी.एच.यू. में शाम 6 बजे लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है तो प्रशासन, गार्ड, वार्डन सभी कहते हैं कि इतनी रात को लड़की बाहर क्या करने गई थी। किसी ने उन सांडों से नहीं पूछा कि वो रात को बाहर किस लिये घूम रहे थे।

जेएनयू की जेन्डर सेन्सेटाईजेशन अगेन्स्ट सेक्सुएल हैरेसमेन्ट कमेटी (जी.एस.कैश) में 23 सदस्य होते थे। जिनमें आधी महिलायें होनी जरूरी थी और उसकी अध्यक्ष भी महिला ही हो सकती थी। 23 सदस्यों में से 4 अध्यापक और 4 छात्रों में से चुने जाते थे, एक प्रतिनिधि छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की यूनियन से, एक छात्र काउंसलरों में से, 2 जेएनयू के बाहर से शिक्षा से जुड़ी प्रसिद्ध महिलायें, 2 किसी एन.जी.ओ. और चार वार्डनों में से जो डीन नियुक्त करता था। अलावा एक महिला अधिकारियों में से और एक कर्मचारियों में से चुनी जाती थी। इस तरह 23 में से 14 सदस्य चुने जाते थे और 4 डीन और 5 प्रशासन द्वारा नोमीनेट किये जाते थे। इस तरह चुन कर आने वाले सदस्यों की बहुतायत थी और महिलाओं की भी मेजोरिटी थी।

अब नई बनाई इन्टरनेल शिकायत कमेटी में कुल 9 सदस्य होंगे जिसमें 3 चुने हुये व 6 वीसी के द्वारा नियुक्त होंगे। 9 में से सिर्फ़ चार महिलायें होगी। जाहिर है कि प्रशासन ने पूरी कमेटी की महिलाओं की व चुने हुये सदस्यों की संख्या कम करके यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह कमेटी से न्याय की आशा नहीं रहेगी और छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का इस पर से विश्वास उठ जायेगा।

इससे निश्चित ही आने वाले समय में यूनिवर्सिटी में असुरक्षा का माहौल बनने और छेड़खानी की घटनायें बढना तय है क्योंकि जब 'सैयां भये कोतवाल तो अब डर काहे का' ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के विशखा मामले में आये निर्णय के बाद जेएनयू ने गहन विचार विमर्श के बाद यहां कमेटी बनायी थी जिसकी सभी ने प्रशंसा की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी दुसरी यूनिवर्सिटियों के लिये भी इसे अनुकरनीय बताया था। लेकिन औरत को पैर की जूती समझने वाले और तो इसे कहां लागू करते, बहाना मिलते ही जेएनयू में ही इसका तख्ता पलट कर दिया।

जेएनयू की इस कमेटी का महत्व हाल में बीएचयू में हुई घटनाओं से समझा जा सकता है। रोज बेटी बचाओ बेटी पढाओ का नारा देने वालों ने बीएचयू ऐसी कोई कमेटी ही नहीं बना रखी है। इसलिये वहां के वीसी महोदय कभी हां भर लेते हैं तो कभी छेड़खानी से मना कर देते हैं। 'ठीक है घर की बही काका लिखनिया' इन वीसी महोदय को लड़कियां छेड़ने वाले तीन गुन्डों के खिलाफ एक एफ़आईआर लिखवाने में तो तीन दिन लगे और 1000 लड़कियों के खिलाफ़ एक घण्टे में ही एफ़ आईआर दर्ज करवा दी। ऐसे हैं हमारे वीर वीसी श्री त्रिपाठी जी। वो लड़कियों से मिलने इसलिये नहीं गये क्योंकि गुन्डों से हमले का ख़तरा था तो वीसी साहब उसी रास्ते पर ये लड़कियां रोज जाती हैं तो इनकी सुरक्षा कौन करेगा।

वीएचयू में सीसी टीवी कैमरे लगाकर, सुरक्षा गार्डों से घिरे रहकर भी वीसी असुरक्षित हैं जबकि जेएनयू में बिना किसी कैमरे के भी महिलायें रात को भी सुरक्षित महसूस करती हैं। जेएनयू को बीएचयू बनने से बचाइये। महिलाओं को 16 वीं सदी में धकेलने वालों की करतूतों को पहचानिये । ये ही वास्तव में देशद्रोंही है।

-अजातशत्रु

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06